प्रारुप-26

भू–वैज्ञानिक आख्या

[illegible] – जनपद उधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम देवीपुरा से झानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में निहाई नदी पर 60.00 मीटर स्पान के प्रस्तावित सेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

[illegible], लो0नि0वि0, खटीमा के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 [illegible] विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम देवीपुरा से झानपुरा गोढ़ी मार्ग के कि0मी0 [illegible] निहाई नदी पर 60.00 मीटर स्पान के प्रीस्ट्रेस कंक्रीट सेतु के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित [illegible] अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता निर्माण [illegible] लो0नि0वि0, खटीमा एवं टी0सी0एस0 के साईट प्रतिनिधि के साथ निरीक्षण किया गया।

[illegible] निर्माण के लिए दो स्थलों पर विचार किया गया। स्थल संख्या 1 झानपुरा गोढ़ी मार्ग से [illegible] (वरकी डांडी) के कि0मी0 2 में स्थित है। इस स्थान पर नदी का बहाव भी लगभग [illegible] यहां 60.00 मीटर स्पान के सेतु का निर्माण कराया जा सकता है। स्थल संख्या 2 भी [illegible] कि0मी0 2 में ही है किन्तु यहां सेतु का स्पान 70 मीटर आता है चूंकि इस स्थान पर पहुँच [illegible] लम्बाई बढ़ने के कारण अतिरिक्त भूमि अध्याप्ति की आवश्यकता पड़ेगी जिसके कारण [illegible] संख्या 2 पर सेतु की लागत भी बढ़ जायेगी। अतः स्थल संख्या 1 पर 60 मीटर स्पान के [illegible] कंक्रीट सेतु के निर्माण की संस्तुति की गई है।

[illegible] का मैदानी क्षेत्र है। नदी के दोनों ओर भूमि लगभग समतल है। भूमि में मुख्यतः सेण्ड, [illegible] गवल आदि हैं। सेतु स्थल पर नाले का बैड लेवल (LBL) 196.696 तथा एच0एफ0एल0 [illegible] दर्शाया गया है। इस क्षेत्र में कोई फर्म/हार्ड स्ट्रेटा नहीं है अतः विपरीत परिस्थितियों में [illegible] द्वारा किनारों का कटाव संभव है। नदी के दोनों किनारों की ऊँचाई भी कम है। यह देखते [illegible] किनारों पर सुरक्षात्मक प्रावधान भी आवश्यक होंगे। प्रस्तावित स्थल भूकम्प की दृष्टि से [illegible] क्षेत्र में स्थित है।

[illegible] भूगर्भीय स्थिति भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न [illegible] दिये जा रहे है जिन्हें प्रस्तावित 60 मीटर स्पान के प्रीस्ट्रेस कंक्रीट सेतु की परिकल्पना एवं [illegible] में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

[illegible]:–

[illegible] भूमि की भार वहन क्षमता एवं अन्य properties के परीक्षण हेतु समुचित स्वॉयल [illegible] कराया जाय तथा परीक्षण आख्या में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सेतु का फाउन्डेशन [illegible] नाव की गहराई निर्धारित की जाय।

[illegible] /पियर का निर्माण नदी की स्कावरिंग डेप्थ से पर्याप्त नीचे उपयुक्त स्ट्रेटा पर एवं [illegible] के आधार पर कराया जाये।

[illegible] पर सेतु एवं पहुँच मार्ग की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार वांछित दूरी में सुरक्षात्मक [illegible] वाइड वॉल आदि का प्रावधान किया जाय जिससे बाढ़ के समय स्थल के समीप किसी [illegible] बहाव न हो।

[illegible] किया जाय कि सुरक्षात्मक स्ट्रक्चर्स के नीचे कोई अण्डरमाईनिंग / स्काउरिंग न हो।

[illegible] नदी के एच०एफ०एल० से सुरक्षित ऊँचाई पर रखा जाय जिससे बाढ़ के समय सेतु [illegible] के बहाव में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

[illegible] स्थिति के अनुरूप सेतु के निर्माण में मानकों एवं विशिष्टियों में निर्धारित भूकम्परोधी [illegible] जायें।

H.K. Kumar

(हर्ष कुमार)
कन्सलटेन्ट जियोलोजिस्ट
लो०नि०वि० देहरादून
(हर्ष कुमार)
वरि० भूवैज्ञानिक (से०नि०)
लोक निर्माण विभाग
देहरादून